



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052020-219295  
CG-DL-E-05052020-219295

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1274]  
No. 1274]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 05, 2020/वैशाख 15, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 05, 2020/VAISAKHA 15, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2020

**का.आ. 1422(अ).**— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 19(अ.), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 कहा गया है) द्वारा केंद्रीय सरकार ने कतिपय तटीय विस्तारों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार करने, प्रचालन और प्रसंस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किये गए थे ;

और, केंद्रीय सरकार ने विभिन्न पणधारियों, जिनके अंतर्गत राज्य सरकारें भी हैं, से उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन खजान भूमि से बंड/ गीली भूमि तक एच टी एल के चिन्हांकन, और सुंदरबन जैव आरक्षित में एच टी एल और सी आर जेड प्रवर्गों की रूपरेखा हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

और, 13 जनवरी, 2020 को हुई अपनी 39 वीं बैठक में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण ने भी यह विनिश्चित किया था कि ऊपर वर्णित मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है ;

और, केंद्रीय सरकार की, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि उक्त तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के संशोधन के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करना लोक हित में होगा,

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

1. पैरा 2 में निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"परंतु का. आ.114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख के पूर्व, बंद विद्यमान होने या गीली भूमि द्वार का सन्निर्माण होने के मामले में, एच टी एल का निर्बंधन बंद या गीली भूमि द्वार रेखा तक होगा और ऐसे मामले में बंद या गीली भूमि द्वार से आगे खारे पानी के कारण उद्भूत कच्छ वनस्पति के अधीन क्षेत्र, बंद या गीली भूमि द्वारा से आगे क्षेत्र का विस्तार होते हुए भी सी आर जेड-14 के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। कच्छ वनस्पति के अधीन ऐसे क्षेत्र संरक्षित किए जाएंगे और उनका किन्हीं विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

2. पैरा 7 के उप पैरा (i) के खंड अ के उपखंड (ड) में "जैव आरक्षित" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सुन्दर वन जैव आरक्षित के मामले के सिवाय, जिसमें सी आर जेड का प्रवर्गीकरण और एच टी एल तथा सी आर जेड सीमाओं की रूपरेखा सी आर जेड अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुरूप की जाएगी।

टिप्पण : सुंदरवन जैव आरक्षित के भीतर रेखांकित सी वी सी ए, राज्य सरकार द्वारा तैयार और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकृत प्रबंधन योजना द्वारा प्रबंधित किया जायेगा।"

3. विशेष ध्यान की अपेक्षा वाले क्षेत्रों से संबंधित पैरा 8.V के अधीन, खंड(3) में, उपखंड(iv)के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) पारिस्थितिक संवेदनशील निम्नस्थ क्षेत्र जो ज्वार भाटा द्वारा प्रभावित होते हैं और खजान भूमि के नाम से ज्ञात हैं, उनका नक्शा तैयार किया जाएगा और का. आ.114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख के पूर्व, बंद विद्यमान होने या गीली भूमि द्वार का सन्निर्माण होने के मामले में, एच टी एल का निर्बंधन बंद या गीली भूमि द्वार रेखा तक होगा और ऐसे मामले में बंद या गीली भूमि द्वार से आगे खारे पानी के कारण उद्भूत कच्छ वनस्पति के अधीन क्षेत्र, बंद या गीली भूमि द्वारा से आगे क्षेत्र का विस्तार होते हुए भी सी आर जेड-14 के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। कच्छ वनस्पति के अधीन ऐसे क्षेत्र संरक्षित किए जाएंगे और उनका किन्हीं विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 19-27/2015 आई ए III (भाग)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 1002(अ), तारीख 6 मार्च, 2018 द्वारा किया गया।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2020

**S.O. 1422(E).**— WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone Notification, 2011), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from various stakeholder including the State Governments regarding need for restricting demarcation of HTL in Khazan Land to the bund/sluice gate, and delineation of HTL and CRZ categories in the Sundarbans Biosphere Reserve under the provisions of the said notification;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 39th meeting held on 13th January, 2020 had also decided that the above-mentioned issues need consideration;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said Coastal Regulation Zone Notification, 2011.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely: -

1. In paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: -

*“Provided that in case there exists a bund or a sluice gate constructed in the past, prior to the date of notification issued vide S.O. 114(E) dated 19th February, 1991, the HTL shall be restricted up to the line long along the bund or the sluice gate and in such a case, area under mangroves arising due to saline water ingress beyond the bund or sluice gate shall be classified as CRZ-IA irrespective of the extent of the area beyond the bund or sluice gate. Such areas under mangroves shall be protected and shall not be diverted for any developmental activities.”*

2. In paragraph 7, in sub-paragraph (i), in clause A, in sub-clause (e), after the words “Biosphere Reserves”, the following shall be inserted, namely: -

*“except in the case of the Sundarbans Biosphere Reserve, wherein, the categorization of CRZ and delineation of the HTL and CRZ boundaries shall be done in consonance with the provisions of the CRZ Notification, 2011*

Note: The CVCA delineated within the Sundarbans Biosphere Reserve shall be managed by the Integrated Management Plan prepared by the State Government and approved by the Central Government”.

3. Under paragraph 8.V relating to Areas requiring special consideration, in clause 3, for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

*“(iv) the eco sensitive low lying areas which are influenced by tidal action known as khazan lands shall be mapped and in case there exists a bund or a sluice gate constructed in the past, prior to the date of notification issued vide S.O. 114(E) dated 19th February, 1991, the HTL shall be restricted up to the line long along the bund or the sluice gate and in such a case, area under mangroves arising due to saline water ingress beyond the bund or sluice gate shall be classified as CRZ-IA irrespective of the extent of the area beyond the bund or sluice gate. Such areas under mangroves shall be protected and shall not be diverted for any developmental activities”.*

[F. No. 19-27/2015-IA III (pt)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 and was last amended vide number S.O. 1002(E), dated 6th March, 2018.